डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल 2001—चैत्र 28, शक 1923

छत्तीसगढ़ शासन

जिला योजना समिति, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2001

### अधिसूचना

क्रमांक क/जि.यो.स./रायपुर/एल.यू.4/3104/नग्रानि/2000.—छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति 1995 की धारा-7 (क) (1) सहपठित मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-25-99/बत्तीस/भोपाल, दिनांक 30-3-99 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, वन, पर्यावरण संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के आदेश क्र. 1890/वन. पर्या./2001 रायपुर, दिनांक 11-4-2001 के अनुसरण में एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973), जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है, की धारा 13 की उपधारा-(2) (क) के अधीन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रायपुर निवेश क्षेत्र, जो मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957/1-90/33/73 दिनांक 22-11-73 द्वारा गठित सीमाओं में परिवर्तन करती है जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है.

### अनुसूची

रायपुर पुनरीक्षित निवेश क्षेत्र की सीमाएं :—

उत्तर में- बहेसर, मुनरेठी, परसतराई, धरसींवा, लिवरैया, गीदी, नगरगांव, ढोर, बरबन्दा, मटिया, दोंदे (क) ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में- बहेसर, चिखला, कुम्हारी, पटारीडीह, बेन्द्री, कारा, बाना, गुमा, जोगची, हतबन्ध, अटारी, चंदनीडीह, सरोना, रायपुरा, भाठागांव, काठाडीह, दतरेंगा एवं डोमा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में- डोगा, खिलोरा, सिवनी, बेन्द्री एवं परसठी, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक:

पूर्व में- परसठी, निमोरा, तूता, बरौदा, चीचा, सेंध नवागांव, नक्टा, कुरूद, बहनाकाठी, नरदहा, दोदेकला, मटिया, बरबंदा एवं ढोर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमिताभ जैन,** कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.